

2

संख्या-395/एक-10-2026-33(46)/2023

प्रेषक,

कुलदीप सिंह,  
उप सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

राहत आयुक्त,  
उ०प्र०, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 05-05-2026

विषय: राहत आयुक्त कार्यालय के वित्तीय वर्ष 2026-27 में आवंटित बजट के वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र० में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन आदि एवं अन्य व्ययों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-5 1 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2052-सचिवालय-सामान्य सेवायें-090-सचिवालय-03-दैवी आपदा संबंधी अधिष्ठान" हेतु प्राविधानित धनराशि ₹ 251.09 लाख (रूपये दो करोड़ इक्यावन लाख नौ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति देते हुए निम्न विवरण शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार राहत आयुक्त, उ०प्र०, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

(धनराशि लाख रुपये में)			
क्र०सं०	मानक मद	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु प्राविधानित धनराशि	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि
1	01-वेतन	49.45	49.45
2	03-महंगाई भत्ता	32.14	32.14
3	04-यात्रा भत्ता	20.00	20.00
4	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	5.00	5.00
5	08-कार्यालय व्यय	27.00	27.00
6	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	6.00	6.00
7	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2.00	2.00
8	13- टेलीफोन पर व्यय	1.00	1.00
9	15- गाड़ियों का अनुरक्षण और	20.00	20.00

	पेट्रोल आदि की खरीद		
10	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	20.00	20.00
11	42-अन्य व्यय	3.00	3.00
12	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	5.00	5.00
13	45-अवकाश यात्रा व्यय	0.50	0.50
14	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	12.00	12.00
15	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	10.00	10.00
16	49-चिकित्सा व्यय	6.00	6.00
17	55-मकान किराया भत्ता	7.00	7.00
18	58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	25.00	25.00
	योग	251.09	251.09

### नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा।
  - (2) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2027 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2027 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
  - (3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
  - (4) राज्य सरकार द्वारा दिये जा रहे अनुदान से प्रतिबद्ध मदों का व्यय वहन करने के पश्चात ही मितव्ययी मदों में उपयोग किया जायेगा।
  - (5) उक्त अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड- 5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाय।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 251.09 लाख (रूपये दो करोड इक्यावन लाख नौ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-051 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2052-सचिवालय-सामान्य सेवायें-090-सचिवालय-03-द्वैवी आपदा

संबंधी अधिष्ठान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - 1 के कार्यालय जाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,  
Digitally signed by  
KULDEEP SINGH  
Date: 05-05-2026  
18:17:11  
(कुलदीप सिंह)  
उप सचिव।

संख्या-395(1)/एक-10-2026-33 (46) / 2023 तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (प्रथम) / आडिट प्रथम, 30प्र0, प्रयागराज ।
- 2- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, 30प्र0
- 3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, 30प्र0 शासन ।
- 4- वित्त नियंत्रक, 30प्र0, राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
- 8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,  
Digitally signed by  
SUSHIL KUMAR  
Date: 05-05-2026  
18:22:54  
(सुशील कुमार)  
अनु सचिव।

